न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

मोटाराम बनाम तहसीलदार, सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र अ.धा. 136 रा.का.अ. मु.नं. 380 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
13/8/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/958 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थी ने कर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम मैलासी पटवार हल्का रसीदपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर तन में कृषि भूमि खसरा सं. 183 रकबा 2.0100 हेक्टेयर अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का भी 1/16 हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम रामा पुत्र पन्नाराम गलत रूप से अंकित किया हुआ है। प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम मोटाराम पुत्र पन्नाराम है। किन्तु उक्त वर्णित भूमिं में प्रार्थी का नाम रामा पुत्र पन्नाराम भूल व सहवन से अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी को गांव में तथा उसके समस्त दस्तावेजों में स्वयं का नाम मोटाराम पुत्र पन्नाराम अंकित किया हुआ है। प्रार्थी के नाम जारी आधार कार्ड, पहचान पत्र, स्वयं के नाम से बने पेन कार्ड, राशन कार्ड बैंक पास बुक तथा इनके अलावा ग्राम मैलासी में अवस्थित भूमि खसरा सं. 181 रकबा 2.1500 हेक्टेयर के 1/8 हिस्से में भी प्रार्थी का नाम मोटाराम पुत्र पन्नाराम अंकित किया हुआ है। जमाबंदी तथा रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामा पुत्र पन्नाराम के स्थान पर मोटाराम पुत्र पन्नाराम दुरूस्त किया जाना जाना उचित व आवश्यक है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होने के कारण प्रार्थी को सरकार द्वारा दी जाने वाली अनेक सहायता योजनाओं से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थी को उक्त गलत अंकन के बारे में पूर्व में जानकारी नहीं थी। प्रार्थी अपने हक व हिस्से की भूमि में किसान कार्ड बनवाने के लिए गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आप अपना स्वयं का नाम दुरूस्त करवाकर लावो, इसलिए प्रार्थी अपने नाम को दुरूस्त करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। अन्य सहखातेदार काश्तकारों से वर्तमान समय में कोई विवाद नहीं है इस कारण उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। आवेदन माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवम क्षेत्राधिकार में होने से उचित न्याय शुल्क पर माननीय [illegible] समक्ष प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फर[illegible] ज[illegible] ग्राम मैलासी पटवार हल्का रसीद[illegible] जिला सीकर तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. [illegible] रकबा 2.0100 हेक्टेयर में प्रार्थी का लगा हुआ गलत नाम रामा पुत्र पन्नाराम के स्थान पर मोटाराम पुत्र पन्नाराम दर्ज [illegible] जावें।" प्रार्थी के आवेदन के समर्थन में उसके दो भाईयों गिरधारी, पिथाराम पुत्रगण स्व. पन्नाराम के द्वारा एक शपथ–पत्र भी पेश किया। हस्तगत पत्रावली में प्रार्थी के समर्थन में प्रार्थी स्वयं का शपथ–पत्र भी पेश किया जा चुका

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra

Date: 2025.08.20 16:51:29 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

मोटाराम बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र अ. धा. 136 एल.आर.एक्ट मु.नं. 380 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा – पत्र

है। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है।

अतः वकील प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/958 दिनांक 28.03.2025 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम मैलासी पटवार हल्का रसीदपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 183 रकबा 2.0100 हेक्टेयर में दर्ज प्रविष्ठि रामा पुत्र पन्नाराम के स्थान पर मोटाराम पुत्र पन्नाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.20 15:51:29 IST
Reason: SelfAttested